BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

I.A. No.- Year -2024

Orginal Application No. 285- Year - 2023

IN THE MATTER OF BETWEEN :

Meghraj Singh Human Rights RTI Activist -------------------- Applicant

VERSUS

The Chief Secretary Govt. of U.P. AND OTHERS ----------------
Respondent

DISTRICT: KANPUR DEHAT U.P.

OBJECTION LETTER - BY APPLICANT

INDEX

Sr. No.	Particular	Page No.	Remarks
2	Reply cum objection filed by applicant against report Ref 877/R_166/2024 dated 2 July 2024 filed by joint committee	1- 5	In bilaspur bangar culvert in out of ponds in Kanpur dehat by PWD Department
3	Annexure -Letter copy of gram pradhan and panchayt member Said culvert is construction by PWD KANPUR DEHAT	06-11	PWD Kanpur dehat issue letter no culvert is contruction on public pathway bilaspur bangar to Arsun Vichhali Bangar
4	Annexure news paper cutting	12-13	Till now a day reup singh lakhan singh kunar singh suneeta encroachment did not

5	Annexure – Regional Office Kanpur dehat UPPCB Report	14	removed till now a day
6	Annexure -2, case status and SDM Court order copy on cases number T202303400501634 T202303400501635 T202303400501636	15-21	Committee said 100% enchrochment removed but not removed a single ponds encroachment , now committee only constitute i.e. bilaspur bangar pond
7	ANNEXURE – Photo graph of culvert those construction by PWD Kanpur dehat in 2006-2008	22-28	
8	Annexure -03 One culvert for over flow water gata 511 destroyed by Rup singh with JCB Photo Graph	29-31	This is main issue of polluted pond Bilaspur Bangar
9	Annexure Photograph of the village school submerged due to non-construction of culvert by the Public Works Department	32-40	Till date not single encroachment removed by district Kanpur Dehat Public admistration
10	Others photo graph where PWD Kanpur Dehat new 4 colvert construction in Brajlal Dera to Bilaspur bangar	41-46	
10	Case status report as per RCCMS respectively case No.- T202403400500556, T202403400500557and T202403400500558	47-49	
11	Others polluted ponds photo graph	50-53	

Thanking you.

Applicant

Meghraj Singh Human Rights RTI Activist

Village Bilaspur Bangar Sikandra Kanpur Dehat

Mob No 9643406577, humanrightsrtiactivst@gmail.com

To dated -20-09-2024

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
New Delhi

Subject - Reply/ Objection report By Applicant

Sir,

This is to inform you that the report sent by District Officer Kanpur Dehat report reference Ref 877/R_166/2024 dated 2 July 2024 is completely false and baseless. While sending this report, the original application submitted by me and the attachments included in it were not read. If the concerned officer had read the original application 285/2023, then he would not have sent it.

The report sent to Hon'ble NGT New Delhi is completely false and baseless. Till date, the ponds situated in the district have not been identified. The report sent in the letter number 517/SA/R-166/2024 of the District Magistrate is not complete. Some old report was presented. After the first Additional District Magistrate asked for the reports, he also sent two reminder letters under which no Sub-District Officer and no Tehsildar sent any reports till date. In the end, some old and incomplete reports were sent.

If that report is also considered, none of the encroachments mentioned in it have been removed. In it, police station, national highway, village school hospital and other buildings are built on ponds. The committee is presenting a wrong report. No encroachment has been removed. If it had been removed, then not only I but the entire media would have spoken about this report.

SDM Sikandra Kanpur Dehat sent also false report on dated 13/03/2024 because he/she mentioned in report all encroachment report but nt remove a single encroachment

I have been complaining about the same ponds since 2010. Many orders were issued to remove encroachments but till date no encroachment has been removed. Only three cases were filed, the case numbers are as follows. All details of cases

and order copy is also annexure.**Ponds Gata No.- 511, Land Revenue Code 2006 section section 67 Report Table**

ENCHROCHMENT NO REMOVE NOW A DAY ON GOUND LEVEL

Sr No	Case Description	RCCMS CASE CASE NO	Case Institution dated	Case disposed dated	Remarks
1	GAANV SBHAA VS KUARLAAL	T202303400501634	26/06/2023	07-03-2024	0.0037 Hec.Till now encroachment not removed
2	GAANV SBHAA VS ANIL SHUKLAA	T202303400501635	26/06/2023	07-03-2024	o.oo74 Hec.Till now encroachment not removed
3	GAANV SBHAA VS RAMDUTT SHUKLA	T202303400501635	26/06/2023	07-03-2024	0.0074 Hec.Till now encroachment not removed

The order of Vedkhali was passed with the status report, it was not disposed of, all these letters are attached to the original application 285/2023. On this,

Polluted ponds related mention on IGRS Portal complaint no 40016323010062 so it is false report mention by concerned department and so I raised the objection so my complaint went to the Commissioner Kanpur Office, complaint number 50016323000006 was investigated by the Regional Office Pollution Control Board Kanpur Dehat in which the pond drainage was found to be obstructed and the report is attached with the photo, so hear there encroachment on public utilities land gata number 511 ponds and public pathway 227 and 512 which has not been complied with till date commetti only on false report present hon’ble NGT Delhi

that the committee submitted the report of the letter number Ref 877/R_166/ 2024 dated 2 July 2024 of the District Officer, which is completely false, in this report the letter number of PWD Kanpur Dehat which is attached on page number 119, in which it is written and Rup singh and lakhan singh and sneeta and kaunar singh

submitted the map and also delivered the pipe on ground lable in place of gata where elligal encroachment by number 227 511and others but the Ex village head / former Gram Pradhan Alka Singh, VDO Vikas Singh and PWD JE Praveen Kumar they did not get that culvert renovated and destroyed the culvert of pond drainage and tried to install a hand pump on the culvert. So now false report generated.

Sr No.	Letter ref. NO	Remarks
1	474 /12c Dated 12-03-2018 This letter annesure on O.A. Page No 119-120	In this letter PWD department accepted culvert pipe blocked The drain pipes are blocked. The pipes of the culvert which falls in the alignment of the road constructed by the Public Works Department are blocked. New pipes have been made available at the work site to replace the pipes of the blocked area. The work of laying the pipes will be completed soon. In this way, the arrangement of pond water drainage from the road under the Public Works Department will be completed.one drying is annexure in this drying block pipes indicates
DM Kanpur Dehat and commetti with reading OA 285/2023 totally false and delibralty report submitted with annexure pwd and DPRO by letter no 87/R-166/2024 letter DATED 02-07-2024		
2	572/12c Dated 14-03-2024 This letter annexre on page no1420	This letter refrence mention in DM report as per above No culvert has been constructed by the Public Works Department on the said road and at present the drainage of the houses has been done by laying humus pipes. But till date no arrangement has been made for pond drainage.

The report of the Public Works Department Executive Engineer and JE Praveen Kumar is fake and baseless. Regarding this report being fake and baseless, letters of Gram Pradhan Shri Brajesh Babu Rajput Bilaspur Bangar and Gram Panchayat members Meena Kumari Poonam Devi and Soni Devi are annexured.

There are number of culvert contraction on Bilaspur Arsun and vichhali Bangar public pathway by the PWD Kanpur Dehat at time of contaction of public wathway. Photo graph are annexured

At present, the Public Works Department Kanpur Dehat is constructing a road from Brajlal's camp to the canal culvert of Bilaspur Bangar.

In this road there are four new culverts are being constructed, their photographs are enclosed. This proves that the culverts were constructed on the previous road. Engineer Praveen Kumar of the Public Works Department Kanpur Dehat issued a fake report and issued a fake letter to give clean chit to the mafia.

But this could not be done. On my tweet, the police public authority took away everyone including the machine. And the culvert because Roop Singh obstructed the road by encroaching on the land of public pathway gata no 227 so in this way ponds over flow water not pass over since now then the people of the village are living in this polluted environment, now the drainage culvert mentioned in the letter number was not constructed.

And DM Kanpur dehat and SDM Kanpur Dehat sent report number of times , they did not want to discloser of name encroacher those who encroachment on culvet and public path , that is reason village bilaspr Bangar ponds is polluted list of encroacher are fellowing as

Sr No	Case Description	RCCMS CASE CASE NO	Case Institution dated	Case status	Remarks
1	GAANV SBHAA VS SUNEETA	T202403400500556	12/02/2024	Pending next hearing DATED 20-09-2024	Till now encroachment not removed Gaata 511 and 227
2	GAANV SBHAA VS Lkahan Singh	T202403400500558	12/02/2024	Pending Next hearing date - 20-09-	Till now encroachment not removed from Gaata No 511 and

				2024	539
3	GAANV SBHAA VS Kunvar Singh	T202403400500557	12/02/2024	Pending next hearing date 20-09-2024	Till now encroachment not removed 227 and 511 and others
4	Till now a day public authority did not taken action against Rup Singh those who encroachment on culvert out flow in public pathway gata No. 227.				

All above mention table case detailed as per NIC report all case status report are annexure

Till now day joint committee did not disclose total number of ponds in Kanpur ow many are encroached totally false report are submitted

So till now a day committee did not submitted as per direction all ponds detailed as per land revenue record 1952 and fasli varse 1359 till now a day.

There are number of ponds are encroachment found as per interim report committee till now a day not remove single encroachment from ponds when there are number of annexure are enclosed in O,A, 285/ 2023 in Bilaspur Bangar ponds only and only false report submitted

MY O.A. 285 /2023 mentioned prayed are not dispose till now a day.

Please protect of fundamental rights of villagers Kanpur dehat dehat gave neet and clean environment.

Thanking you

Applicant

Meghraj Singh Human Rights RTI Activist

Village Bilaspur Bangar Sikandra Kanpur Dehat

Mob No 9643406577, humanrightsrtiactivst@gmail.com

प्रमाण पत्र

महोदय,

यह प्रमाणित करते हुए अवगत कराना है कि मैं ब्रजेश बाबू पुत्र श्री विद्याराम ग्राम पंचायत बिलासपुर बांगर, विकास खंड राजपुर जनपद कानपुर देहात की ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हूँ प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष के साथ अन्य समितियों की पूर्ण जिम्मेदारी है गाँव की पंचायत का प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते गाँव की भौगोलिक स्थिति के भविष्य और वर्तमान स्थिति के बारे में भली भाति जानती पहचानतीं हूँ बिलासपुर बांगर से अरसुन विछावली सम्पर्क मार्ग 2007 में बना इसमें छः पुलिया बनवाई गई थी जिसमें दो पुलिया एक गाँव का पानी तालाब मे आने हेतु अजब सिंह के दरवाजे के सामने और दूसरी तालाब जल निकासी के लिए बनी थी जो अधूरी कुछ समय बाद अवरुद्ध हो गई।

अधिशाषी अभियन्ता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कानपुर देहात के द्वारा पत्र संख्या 572/आई सी, दि० 14/03/2024 रिपोर्ट लगा रहा कि लोक निर्माण विभाग ने कोई पुलिया नहीं बनाई वह पूर्ण से असत्य और तथ्य विहीन फर्जी रिपोर्ट है इसकी टीम नामित कर जांच करा ली जाय। इसकी इस फर्जी रिपोर्ट से तालाब का पानी निकल नहीं पा रहा आज दूषित पानी है इसका आक्सीजन लेविल 3 से भी कम है।

और जब तालाब ओवर फ्लो होता तो विधायालयो सहित गाँव जलमग्न हो जाता ग्राम पंचायत जी जल प्रवंधन समिति की अध्यक्ष होने के नाते तालाब जल के पूर्व के पड़े पाइपों का जीर्णोद्धार के साथ इनफ्लो और आउट फ्लो की पुलियो का निर्माण कराकर तालाब जल निकासी की समुचित व्यवस्थता कराई जाय यह लोक निर्माण विभाग इसने तीन बार रोड बना दिया पूर्व बनी हुई पुलिया के पाइपों का जीर्णोद्धार करा कर समुचित जल निकासी व्यवस्थता हेतु रिपोर्ट सादर प्रेषित।

फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले इंजीनियर प्रवीण कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

सादर धन्यबाद।

प्रमाणित कर्ता

ग्राम प्रधान

ब्रजेश बाबू

(मुहर: प्रधान, ग्राम पंचायत बिलासपुर बांगर, वि०ख० राजपुर, कानपुर देहात)

ग्राम पंचायत बिलासपुर बांगर, विकास खंड राजपुर कानपुर देहात

1780

मीना कुमारी ग्राम पंचायत सदस्य

अध्यक्ष जल प्रबंधन समिति
सदस्य - प्रशासनिक समिति, सदस्य - निर्माण कार्य समिति
सदस्य - शिक्षा समिति, सदस्य - नियोजन एवं विकास समिति

उ० प्र०

कार्यालय - ग्राम पंचायत बिलासपुर बांगर
विकास खंड- राजपुर, जनपद कानपुर देहात
Mob. No. - 7982875851, 9118869669
Email Id- meenakumarigpmember@gmail.com

पत्रांक संख्या - मी०/2024 दिनाँक : 27/07/2024

सेवा में

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद कानपुर देहात

महोदय,

यह प्रमाणित करते हुए अवगत कराना है कि मैं मीना कुमारी पत्नी मेघराज सिंह पंचायत बिलासपुर बांगर, विकास खंड राजपुर जनपद कानपुर देहात की ग्राम पंचायत सदस्य हूँ अध्यक्ष जल प्रवंधन समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, और नियोजन और विकास समिति, की सदस्या भी हूँ गाँव की पंचायत की प्रतिनिधि होने के नाते गाँव की भौगोलिक स्थिति के भविष्य और वर्तमान स्थिति के बारे में भली भाति जानती पहचानतीं हूँ बिलासपुर बांगर से अरसुन विछावली सम्पर्क मार्ग 2007 में बना इसमें लगभग 8 पुलियाओं को बनवाया था जिसमें एक दो छोड़ कर सभी में विधवत रूप से जल निकासी हो रही है

जिसमें दो पुलिया एक गाँव का पानी तालाब में आने हेतु अजब सिंह के दरवाजे के सामने और दूसरी तालाब जल निकासी के लिए बनी थी जो अधूरी कुछ समय बाद अवरुद्ध हो गई। इसके साथ इन्ही ने हाकिम सिंह और अनिल यादव के खेत के सामने, लालाराम या माता प्रसाद और दशरथ कठेरिया के खेत के सामने, साहब सिंह बक्कीलाल आदि के खेत समाने, प्रेम सिंह अरविन्द के खेत पर, अरसुन विछावली के बीच में और एक पुलिया विछावली में पुलियाओं का निर्माण उसी समय किया गया था इंजीनियर साहब सहित खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता महोदय फर्जी रिपोर्ट लगाकार पुलिया नहीं बनी होने की डिनाई कर रहे लोक निर्माण विभाग कानपुर देहात ने पत्र संख्या 572/आई.सी., दि० 14 मार्च 2024 की रिपोर्ट लगा रहा कि लोक निर्माण विभाग ने कोई पुलिया नहीं बनाई वह पूर्ण से असत्य और तथ्य विहीन फर्जी रिपोर्ट है इसकी टीम नामित कर जांच करा ली जाय। जो सजा हो मुझे दी यदि मैं गलत निकली तो पंचायत का पद छोड़ दूंगी या जिला अधिकारी महोदय मेरे पद सदस्ता वापस लेले

मीना कुमारी ग्राम पंचायत सदस्य
अध्यक्ष जल प्रबंधन समिति
सदस्य - प्रशासनिक समिति, सदस्य - निर्माण कार्य समिति
सदस्य - शिक्षा समिति, सदस्य - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समिति

उ० प्र०

कार्यालय - ग्राम पंचायत बिनासपुर कानपुर
निवास ग्राम - राजपुर, जनपद कानपुर देहात
Mob. No. - [illegible], [illegible]
Email Id - meenakumarigpmember@gmail.com

पत्रांक संख्या -

दिनाँक :

नहीं तो इस इंजीनियर के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय इस फर्जी रिपोर्ट से माफियाओ को कब्जा कराया गया है इसकी इस फर्जी रिपोर्ट से तालाब का पानी निकल नहीं पा रहा आज दूषित पानी है इसका आक्सीजन लेविल 3 से भी कम है ।

जब तालाब ओवर फ्लो होता तो विधायालयो सहित गाँव जलमग्न हो जाता ग्राम पंचायत जी जल प्रवंधन समिति की अध्यक्ष होने के नाते तालाब जल के पूर्व के पड़े पाइपों का जीर्णोद्धार के साथ इनफ्लो और आउट फ्लो की पुलियो का निर्माण कराकर तालाब जल निकासी की समुचित व्यवस्थता कराई जाय यह लोक निर्माण विभाग इसने तीन बार रोड बना दिया पूर्व बनी हुई पुलिया के पाइपों का जीर्णोद्धार करा कर समुचित जल निकासी व्यवस्थता हेतु रिपोर्ट सादर प्रेषित ।

फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले इंजीनियर प्रवीण कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।अतिक्रमण कर्ताओ के विरुद्ध कार्यवाही कर अतिक्रमण मुक्त करा तालाब जल निकासी की पूर्व में बनी पुलिया का जीर्णोद्धार कराकर समुचित जल निकासी कराई जाय।

सादर धन्यबाद ।

प्रमाणित कर्ता

मीना कुमारी

मीना कुमारी ग्राम पंचायत सदस्य

मीना कुमारी वार्ड सदस्य
सभापति - जल प्रबन्धन समिति
सदस्य नि० कार्य समिति, प्रशा० समिति
ग्रा० पं० बिनासपुर राजपुर कानपुर दे०

पूनम देवी ग्राम पंचायत सदस्य
सदस्य जल प्रबंधन समिति
सदस्य - शिक्षा समिति,
सदस्य - स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति

कार्यालय - [illegible]
[illegible]
Mob. No - [illegible]
Email Id. punamdevigpmember@gmail.com

पत्रांक संख्या - [illegible]/2024

दिनांक 27/07/2024

सेवा में

श्रीमान ज़िला अधिकारी महोदय जनपद कानपुर देहात

महोदय,

यह प्रमाणित करते हुए अवगत कराना है कि मैं पूनम देवी पत्नी श्री आशीष कुमार ग्राम पंचायत बिलासपुर बांगर, विकास खंड राजपुर जनपद कानपुर देहात की ग्राम पंचायत सदस्य हूँ सदस्य जल प्रवंधन समिति, शिक्षा समिति, और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, की सदस्या भी हूँ गाँव की पंचायत की प्रतिनिधि होने के नाते गाँव की भौगोलिक स्थिति के भविष्य और वर्तमान स्थिति के बारे में भली भाति जानती पहचानतीं हूँ बिलासपुर बांगर से अरसुन विछावली सम्पर्क मार्ग 2007 में बना इसमें लगभग 8 पुलियाओं को बनवाया था जिसमें एक दो छोड़ कर सभी में विधवत रूप से जल निकासी हो रही है।

जिसमें दो पुलिया एक गाँव का पानी तालाब में आने हेतु अजब सिंह के दरवाजे के सामने और दूसरी तालाब जल निकासी के लिए बनी थी जो अधूरी कुछ समय बाद अवरुद्ध हो गई। इसके साथ इन्ही ने हाकिम सिंह और अनिल यादव के खेत के सामने, लालाराम या माता प्रसाद और दशरथ कठेरिया के खेत के सामने, साहब सिंह बक्कीलाल आदि के खेत समाने, प्रेम सिंह अरविन्द के खेत पर, अरसुन विछावली के बीच में और एक पुलिया विछावली में पुलियाओं का निर्माण उसी समय किया गया था इंजीनियर साहब सहित खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता महोदय फर्जी रिपोर्ट लगाकार पुलिया नहीं बनी होने की डिनाई कर रहे कि लोक निर्माण विभाग ने कोई पुलिया नहीं बनाई वह पूर्ण से असत्य और तथ्य विहीन फर्जी रिपोर्ट है इसकी टीम नामित कर जांच करा ली जाय। जो सजा हो मुझे दी यदि मैं गलत निकली तो पंचायत का पद छोड़ दूंगी या जिला अधिकारी महोदय मेरे पद सदस्यता वापस ले ले

यदि बिलासपुर बांगर में तालाब जल निकासी की पुलिया एवं तालाब इनफ्लो की पुलिया बनी पाई जाए तो इस इंजीनियर प्रवीण कुमार के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही की जाय इस फर्जी रिपोर्ट से माफियाओ को कब्जा कराया गया है उनके विरुद्ध धारा 67 की कार्यवाही हो

पूनम देवी ग्राम पंचायत सदस्य
[illegible]
सदस्य - शिक्षा समिति
सदस्य - स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति

[illegible]
[illegible]
Mob No. [illegible]
Email Id- punamdevigpmember@gmail.com

पत्रांक संख्या -

दिनाँक

गई जिनके मुकदमा संख्या RCCMS पर दर्ज है जिनके विवरण -T202403400500557, T202403400500557 एवं T202403400500558 है जिनकी सुनवाई 09 अगस्त 2024 को निर्धारित है फिर भी यह इंजीनियर इनको बचाने को फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत की इसकी इस फर्जी रिपोर्ट से तालाब का पानी निकल नहीं पा रहा आज दूषित पानी है इसका आक्सीजन लेविल 3 से भी कम है और प्राइमरी एवं जूनियर विधायालय का प्रांगण भरा हुआ है।

जब तालाब ओवर फ्लो होता तो विधायालयो सहित गाँव जलमग्न हो जाता ग्राम पंचायत जी जल प्रवंधन समिति की सदस्य होने के नाते तालाब जल के पूर्व के पड़े पाइपों का जीर्णोद्धार के साथ इनफ्लो और आउट फ्लो की पुलियो का निर्माण कराकर तालाब जल निकासी की समुचित व्यवस्थता कराई जाय यह तभी पुराण हो सकती जो प्रधानमंत्री आवास रास्ते की जमीन में बनाया गया अन्य दो अंतिक्रमण कर्ताओ सहित रूप सिंह पुत्र वनवारी का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं यह लोक निर्माण विभाग इसने तीन बार रोड बना दिया पूर्व बनी हुई पुलिया के पाइपों का जीर्णोद्धार नहीं कराया इस समस्या की जांच करा समुचित जल निकासी व्यवस्थता हेतु रिपोर्ट सादर प्रेषित।

फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले इंजीनियर प्रवीण कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।अतिक्रमण कर्ताओ के विरुद्ध कार्यवाही कर अतिक्रमण मुक्त करा तालाब जल निकासी की पूर्व में बनी पुलिया का जीर्णोद्धार कराकर समुचित जल निकासी कराई जाय।

सादर धन्यबाद।

प्रमाणित कर्ता

- पूनम देवी

पूनम देवी ग्राम पंचायत सदस्य

पूनम देवी वार्ड सदस्य
सदस्य शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं
कल्याण समिति, ग्राम पंचायत
बिलासपुर, राजपुर कानपुर दे॰ 209125

"सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।" - महात्मा गाँधी

1784

प्रमाण पत्र :-

महोदय,

यह प्रमाणित करते हुए अवगत कराना है कि मैं सोनी देवी पत्नी श्री प्रेमनारायण ग्राम पंचायत बिलासपुर बांगर, विकास खण्ड राजपुर जनपद कानपुर देहात की ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। जल प्रबंधन समिति, नियोजन और विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की सदस्य हूँ। गाँव की पंचायत की सदस्य होने के नाते गाँव की भौगोलिक स्थिति के भविष्य और वर्तमान स्थिति के बारे में भली-भांति जानती, पहचानती हूँ। बिलासपुर बांगर से असुन विद्यावली सम्पर्क मार्ग 2007 में बना इसमें छः पुलिया बनवाई गई थी, जिसमें दो पुलियाँ एक गाँव का पानी तालाब में आने हेतु आजब सिंह के दरवाजे के सामने और दूसरी तालाब जल निकासी के लिए बनी थी जो अधूरी कुछ समय बाद अवरुद्ध हो गई। बरसात में तालाब ओवर फ्लो होता है तो विद्यालय सहित गाँव जल मग्न हो जाता है, ग्राम पंचायत की ~~सदस्~~ जल प्रबंधन समिति की सदस्य होने के नाते तालाब जल के पूर्व पड़े पाइपों का जीर्णोद्धार के साथ इनफ्लो और आउटफ्लो की पुलियों का निर्माण कराकर तालाब जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाये। लोक निर्माण विभाग ने तीन बार रोड बना दिया पूर्व में बनी पुलिया का जीर्णोद्धार नहीं किया, पाइपों का जीर्णोद्धार कराने की कृपा करें।

प्रमाणितकर्ता
सोनी देवी ग्राम पंचायत सदस्य
जल प्रबंधन समिति सदस्य
ग्राम पंचायत बिलासपुर बांगर
विकास खण्ड - राजपुर कानपुर देहात

सोनी देवी

खण्ड -

1785

DATE - 09/11/2023

तालाबों की वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर एनजीटी ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : जिले के अधिकांश तालाब अवैध कब्जे में अस्तित्व खो चुके हैं। तालाबों को कब्जा मुक्त कराने के लिए अधिवक्ता मेघराज सिंह ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। इस पर अधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही जिले के सभी तालाबों का सीमांकन, जियो टैगिंग कराकर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। अभी तक यह काम न होने पर नाराजगी जताई है।

कब्जे में सिमटा बिलासपुर बांगर गांव का तालाब • सौ. जागरण

- जियो मैपिंग के साथ ही तालाबों का सीमांकन कराने के दिए निर्देश
- कब्जे में सिमटे तालाबों को लेकर चल रही है एनजीटी में सुनवाई

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शासन की ओर से तालाबों को संरक्षित कर अमृत सरोवर का रूप दिया जा रहा है। तालाबों के सुंदरीकरण के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। धरातल में अधिकांश तालाब कब्जे का शिकार हैं। वर्ष 1952 के अभिलेखों के अनुसार जिले में 6500 से अधिक तालाब, झील, पोखर स्थित हैं, लेकिन मौजूदा समय में कब्जे के कारण आधे से ज्यादा तालाबों का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। तालाबों को संरक्षित करने के लिए अधिवक्ता ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर अधिकरण ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा कि वर्षा ऋतु में तालाबों में पानी भर जाने से सीमांकन नहीं हो सका। एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी तालाबों का सीमांकन, जियो टैगिंग कराकर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इसके अलावा 15 जनवरी को दोबारा सुनवाई और सारी रिपोर्ट लेकर आने को आदेशित किया है।

कानपुर, 28 अक्टूबर, 2023 कानपुर देहात जागरण

शिकायत करने वाले को ही बरगलाते जिम्मेदार

तालाबों पर कब्जे को लेकर जिले में भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज नहीं कोई मामला, फर्जी रिपोर्ट लगा करते निस्तारित

भाजपा ने गरीबी उन्मूलन को चलाईं कई योजनाएं

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली,उ0प्र0 के संदर्भ संख्या–50016323000006 के माध्यम से ग्राम–बिलासपुर बांगर, ब्लाक–राजपुर,तहसील–सिकन्दरा, जनपद–कानपुर देहात में स्थित तालाब के अति प्रदूषित जल को चेक कराने एवं स्वच्छ जल का प्रबंध एवं जल कुम्भी निकलवाने के सम्बन्ध में श्री मेघराज सिंह, मानवाधिकार आर0टी0आई0 कार्यकर्ता ग्राम–बिलासपुर, ब्लाक–राजपुर, तहसील–सिकंदरा, कानपुर देहात द्वारा की गयी शिकायत सम्बन्धी आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ0प्र0 के संदर्भ संख्या–40016323010062 के माध्यम से श्री मेघराज सिंह, मानवाधिकार आर0टी0आई0 कार्यकर्ता ग्राम–बिलासपुर, ब्लाक–राजपुर, तहसील–सिकंदरा, कानपुर देहात द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 28.07.2023 को निरीक्षण किया गया था तथा जल नमूना एकत्र कर आख्या प्रेषित की गयी थी। किन्तु शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये असंतुष्ट फीडबैक में अवगत कराया गया है कि निरीक्षणकर्ता ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्यों से नहीं मिले तथा तालाब के चारो तरफ मकान नहीं पूर्व–उत्तर में विद्यालय हैं। पूर्व प्रेषित निरीक्षण आख्या में बायीं ओर लगाया गया चित्र भी स्थल का नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान गांव में उपस्थित नहीं थे, ग्राम प्रधान के भाई श्री श्यामसुन्दर, श्री सुन्दरम शुक्ला, श्री सत्यनारायण, श्री रामशरण, श्री अरविन्द कुमार, श्री तुलाराम, श्री सोनू पाल व अन्य ग्रामीणों की उपस्थित में निरीक्षण किया गया था। लगाये गये छायाचित्र में उत्तर दिशा में प्राथमिक विद्यालय, बिलासपुर, बांगर, कानपुर देहात दर्शित है। पूरब दिशा में शिकायतकर्ता का मकान स्थित है। दक्षिण दिशा में श्री बृजेश कुमार व अन्य लोगों के आवासीय मकान तथा पश्चिम दिशा में सड़क व अन्य आवासीय मकान स्थित हैं।

तालाब के जल निकासी हेतु निकटवर्ती सड़क पर कोई पुलिया आदि न होने से तथा अन्य दिशाओं में आवासीय एवं विद्यालय होने के कारण ड्रेनेज के अभाव में जल निकासी अवरूद्ध है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत का समाधान उचित जल निकासी एवं तालाब के अतिक्रमण को हटाये जाने पर ही संभव है। वर्तमान में तालाब में जल कुम्भी होने तथा जल निकासी न होने के कारण जल गुणता प्रभावित हो रही है, जिसकी आख्या पूर्व में भी प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत शिकायत राजस्व एवं जल निकासी से सम्बन्धित है। अतः आई0जी0आर0एस0 **संदर्भ संख्या–50016323000006** को निक्षेपित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(सतेन्द्र सिंह)
प्रयो0सहायक

(आशीष शुक्ला)
प्रयो0सहायक

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।

03/8/2023

03/8/23

1788

वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल: - कानपुर **जनपद: -** कानपुर देहात **तहसील: -** सिकन्दरा **न्यायालय: -** तहसीलदार

वाद सं०:	1635/2023	कंप्यूटरीकृत वाद सं०:	T202303400501635
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	गांवसभा , विलासपुर बांगर तहसील सिकन्दरा जिला कानपुर देहात बनाम कुंवर लाल , विलासपुर बांगर तहसील सिकन्दरा जिला कानपुर देहात	वाद की स्थिति:	निस्तारित
वाद प्रकृति:	मूल वाद	दाखिल करने का दिनांक:	26-Jun-2023
निस्तारण दिनाँक:	07-Mar-2024	अधिनियम, धारा:	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67
गाँव और परगने का नाम:	गाँव:- , परगने का नाम:- विलासपुर बांगर		

आदेश का विवरण: आदेश का दिनाँक:- 07-Mar-2024 आदेश देखें

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा युनिक कोड	क्षेत्रफल
1	कानपुर देहात	सिकन्दरा	सिकन्दरा	विलासपुर बांगर	00313	511	149849-0511-000061	0.5020

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	—	—	25/07/2023	ग्राह्यता
2	25/07/2023	ग्राह्यता	08/08/2023	ग्राह्यता
3	08/08/2023	ग्राह्यता	16/08/2023	ग्राह्यता
4	16/08/2023	ग्राह्यता	06/09/2023	ग्राह्यता
5	06/09/2023	ग्राह्यता	27/09/2023	ग्राह्यता
6	27/09/2023	ग्राह्यता	25/10/2023	ग्राह्यता
7	25/10/2023	ग्राह्यता	08/11/2023	ग्राह्यता
8	08/11/2023	ग्राह्यता	08/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
9	08/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	28/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
10	28/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	12/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
11	12/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	27/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
12	27/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	10/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
13	10/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	24/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
14	24/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	07/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
15	07/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	14/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
16	14/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	28/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
17	28/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	29/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
18	29/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	06/03/2024	साक्ष्य प्रतिवादी

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

न्यायालय : - तहसीलदार

मण्डल :कानपुर , जनपद :कानपुर देहात , तहसील :सिकन्दरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202303400501635

वाद संख्या:- 1635/2023

गांवसभा बनाम कुंवर लाल

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 07/03/2024

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी कुवॅरलाल पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम विलासपुर बं ागर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0037 हे0 पर 10 वर्ष से ग्राम समाज की तालाब की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्धरण खतौनी की प्रति संलग्न है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैघ अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नही आया।

दिनांक 29-02-2024 पत्रावली प्रस्तुत, पुकार। ग्रामसभा नामिका अधिवक्ता हाजिर। आपित्तकर्ता की तरफ से आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। वादी का साक्ष्य एवं बहस पूर्ण। पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों व क्षेत्रीय लेखपाल के बयान का विधिवत् अवलोकन किया गया तथा ग्रामसभा नामिका अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुचॅता हूॅ कि अवैध अध्यासी कुवॅरलाल पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम विलासपुर बं ागर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0037 हे0 पर 10 वर्ष से ग्राम समाज की तालाब की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया गया है तथा अवैध अध्यासी द्वारा ग्रामसभा की सम्पत्ति को क्षति पहुचॉई गयी है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या स्वीकार कर अवैध अध्यासी को प्रश्नगत ग्राम समाज/तालाब की भूमि से बेदखल कर क्षतिपूर्ति से आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतः अवैध अध्यासी कुवॅरलाल पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम विलासपुर बं ागर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0037 हे0 तालाब की भूमि से बेदखल किया जाता है तथा उससे

क्षतिपूर्ति के रूप में मु0 4350 रू0 तथा निष्पादन व्यय मु0 2200 रू0 आरोपित किया जाता है। आर0सी0 प्रपत्र 21 जारी हो। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मौके पर जाकर अध्यासी का अवैध अतिक्रमण 01 सप्ताह में हटाकर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संतोष कुमार सिंह)
असिटेन्ट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

1791

वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल: - कानपुर **जनपद:** - कानपुर देहात **तहसील:** - सिकन्दरा **न्यायालय:** - तहसीलदार

वाद सं०:	1636/2023	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	T202303400501636
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	गांवसभा , विलासपुर बांगर तहसील सिकन्दरा जिला कानपुर देहात **बनाम** अनिल शुक्ला , विलासपुर बांगर तहसील सिकन्दरा जिला कानपुर देहात	**वाद की स्थिति:**	निस्तारित
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	26-Jun-2023
निस्तारण दिनाँक:	07-Mar-2024	**अधिनियम, धारा:**	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67
गाँव और परगने का नाम:	**गाँव:-** , **परगने का नाम:-** विलासपुर बांगर		

आदेश का विवरण: **आदेश का दिनाँक:-** 07-Mar-2024 आदेश देखें

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	कानपुर देहात	सिकन्दरा	सिकन्दरा	विलासपुर बांगर	00313	511	149849-0511-000061	0.5020

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	25/07/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
2	25/07/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	08/08/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
3	08/08/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	16/08/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
4	16/08/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	06/09/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
5	06/09/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	27/09/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
6	27/09/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	25/10/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
7	25/10/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	08/11/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
8	08/11/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	08/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
9	08/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	28/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
10	28/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	12/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
11	12/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	27/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
12	27/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	10/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
13	10/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	24/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
14	24/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	07/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
15	07/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	14/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
16	14/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	28/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
17	28/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	29/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
18	29/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	06/03/2024	साक्ष्य प्रतिवादी

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

1792

वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल: - कानपुर **जनपद:** - कानपुर देहात **तहसील:** - सिकन्दरा **न्यायालय:** - तहसीलदार

वाद सं०:	1634/2023	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	T202303400501634
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	गांवसभा , विलासपुर बांगर तहसील सिकन्दरा जिला कानपुर देहात **बनाम** रामदत्त , विलासपुर बांगर तहसील सिकन्दरा जिला कानपुर देहात	**वाद की स्थिति:**	निस्तारित
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	26-Jun-2023
निस्तारण दिनाँक:	07-Mar-2024	**अधिनियम, धारा:**	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67
गाँव और परगने का नाम:	**गाँव:**- , **परगने का नाम:**- विलासपुर बांगर		

आदेश का विवरण: **आदेश का दिनाँक:**- 07-Mar-2024 आदेश देखें

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	कानपुर देहात	सिकन्दरा	सिकन्दरा	विलासपुर बांगर	00313	511	149849-0511-000061	0.5020

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं०	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	25/07/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
2	25/07/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	08/08/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
3	08/08/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	16/08/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
4	16/08/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	06/09/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
5	06/09/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	27/09/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
6	27/09/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	25/10/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
7	25/10/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	08/11/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
8	08/11/2023	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	08/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
9	08/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	28/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
10	28/11/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	12/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
11	12/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	27/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी
12	27/12/2023	साक्ष्य प्रतिवादी	10/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
13	10/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	24/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
14	24/01/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	07/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
15	07/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	14/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
16	14/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	28/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
17	28/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	29/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी
18	29/02/2024	साक्ष्य प्रतिवादी	06/03/2024	साक्ष्य प्रतिवादी

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

न्यायालय : - तहसीलदार

मण्डल :कानपुर , जनपद :कानपुर देहात , तहसील :सिकन्दरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202303400501636

वाद संख्या:- 1636/2023

गांवसभा बनाम अनिल शुक्ला

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 07/03/2024

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी अनिल शुक्ला पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम विलासपुर बंागर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0074 हे0 पर 07 वर्ष से ग्राम समाज की तालाब की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्धरण खतौनी की प्रति संलग्न है।
नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नही आया।
दिनांक 29-02-2024 पत्रावली प्रस्तुत, पुकार। ग्रामसभा नामिका अधिवक्ता हाजिर। आपित्तकर्ता की तरफ से आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। वादी का साक्ष्य एवं बहस पूर्ण। पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी।
मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों व क्षेत्रीय लेखपाल के बयान का विधिवत अवलोकन किया गया तथा ग्रामसभा नामिका अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुचंता हूँ कि अवैध अध्यासी अनिल शुक्ला पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम विलासपुर बंागर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0074 हे0 पर 07 वर्ष से ग्राम समाज की तालाब की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया गया है तथा अवैध अध्यासी द्वारा ग्रामसभा की सम्पत्ति को क्षति पहुचाई गयी है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या स्वीकार कर अवैध अध्यासी को प्रश्नगत ग्राम समाज/तालाब की भूमि से बेदखल कर क्षतिपूर्ति से आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार आदेश पीरित किया जाता है:-

आदेश

अतः अवैध अध्यासी अनिल शुक्ला पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम विलासपुर बंागर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0074 हे0 तालाब की भूमि से बेदखल किया जाता है तथा उससे क्षतिपूर्ति के रूप में मु0 6085 रू0 तथा निष्पादन व्यय मु0 2200 रू0 आरोपित किया जाता है। आर0सी0 प्रपत्र 21 जारी हो। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मौके पर जाकर अध्यासी का अवैध अतिक्रमण 01 सप्ताह में हटाकर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संतोष कुमार सिंह)
असिटेन्ट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :कानपुर , जनपद :कानपुर देहात , तहसील :सिकन्दरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202303400501634
वाद संख्या:- 1634/2023
गांवसभा बनाम रामदत्त
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 07/03/2024

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी रामदत्त पुत्र तेजधारी निवासी ग्राम विलासपुर बांगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0074 हे0 पर 10 वर्ष से ग्राम समाज की तालाब की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसैरा व मूल उद्धरण खतौनी की प्रति संलग्न है।
नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नही आया।
दिनांक 29-02-2024 पत्रावली प्रस्तुत, पुकारा। ग्रामसभा नामिका अधिवक्ता हाजिर। आपित्तकर्ता की तरफ से आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। वादी का साक्ष्य एवं बहस पूर्ण। पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी।
मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों व क्षेत्रीय लेखपाल के बयान का विधिवत् अवलोकन किया गया तथा ग्रामसभा नामिका अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि अवैध अध्यासी रामदत्त पुत्र तेजधारी निवासी ग्राम विलासपुर बांगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0074 हे0 पर 10 वर्ष से ग्राम समाज की तालाब की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया गया है तथा अवैध अध्यासी द्वारा ग्रामसभा की सम्पत्ति को क्षति पहुचाई गयी है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या स्वीकार कर अवैध अध्यासी को प्रश्नगत ग्राम समाज/तालाब की भूमि से बेदखल कर क्षतिपूर्ति से आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतः अवैध अध्यासी रामदत्त पुत्र तेजधारी निवासी ग्राम विलासपुर बांगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को ग्राम विलासपुर बांगर की आ0नं0 511 रकबा 0.509 हे0 के रकवा 0.0074 हे0 तालाब की भूमि से बेदखल किया जाता है तथा उससे क्षतिपूर्ति के रूप में मु0 8695 रू0 तथा निष्पादन व्यय मु0 2200 रू0 आरोपित किया जाता है। आर0सी0 प्रपत्र 21 जारी हो। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मौके पर जाकर अध्यासी का अवैध अतिक्रमण 01 सप्ताह में हटाकर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संतोष कुमार सिंह)
असिटेन्ट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

THIS CULVERT made by PWD Kanpur Dehat in Vichhavli bangar at the when road’s Constraction

1796

here this photo graph shows these Culvert made by PWD Department between the Arsun Bangar and Vichhavli bangar

Here all above photo graph also contraction of Culvert between Bilspur Bangar and Arsun bangar

1800

पुलिया निर्माण PWD
द्वारा श्री अजब सिंह के
दरवाजे पर गांव का
पानी तालाब में

1802

87° LTE VoLTE 36% 00:05

Tweet

Translate from Hindi

5:28 PM · 14 Aug 18

View Tweet activity

Kanpur Dehat Police @k... · 14 Aug

Replying to @Meghraj88686186 @igrangekanpur and 2 others

उक्त प्रकरण में थानाध्यक्ष अमराहट को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

1804

One side

1806

1808

1809

1810

1811

1812

So now New road contraction by PWD Kanpur dehat in Bilaspur bangar, these road connect with Sikandra Baijamau Marg these Marg Name braj laal ke Dera to Primary pathshala Bilaspur Bangar

In this road new culvert contraction by public work department Kanpur dehat U.P. So new road culvert photo graph attached following as

1814

1816

1818

1820

वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल: - कानपुर **जनपद: -** कानपुर देहात **तहसील: -** सिकन्दरा **न्यायालय: -** तहसीलदार

वाद सं०:	556/2024	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	T202403400500556
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	गॉवसभा , - **बनाम** कुवँर सिंह , विलासपुर बांगर तहसील सिकन्दरा	**वाद की स्थिति:**	प्रतिवाद पत्र
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	12-Feb-2024
अगला सुनवाई दिनांक:	20-Sep-2024	**अधिनियम, धारा:**	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67
गाँव और परगने का नाम:	**गाँव:- , परगने का नाम:-** सिकन्दरा		

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	कानपुर देहात	सिकन्दरा	सिकन्दरा	विलासपुर बांगर	00316	227	149849-0227-000062	0.1130

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	05/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
2	05/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	12/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
3	12/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	18/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
4	18/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	19/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
5	19/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	19/04/2024	प्रतिवाद पत्र
6	19/04/2024	प्रतिवाद पत्र	26/04/2024	प्रतिवाद पत्र
7	26/04/2024	प्रतिवाद पत्र	03/05/2024	प्रतिवाद पत्र
8	03/05/2024	प्रतिवाद पत्र	24/05/2024	प्रतिवाद पत्र
9	24/05/2024	प्रतिवाद पत्र	27/05/2024	प्रतिवाद पत्र
10	27/05/2024	प्रतिवाद पत्र	31/05/2024	प्रतिवाद पत्र
11	31/05/2024	प्रतिवाद पत्र	14/06/2024	प्रतिवाद पत्र
12	14/06/2024	प्रतिवाद पत्र	28/06/2024	प्रतिवाद पत्र
13	28/06/2024	प्रतिवाद पत्र	05/07/2024	प्रतिवाद पत्र
14	05/07/2024	प्रतिवाद पत्र	19/07/2024	प्रतिवाद पत्र
15	19/07/2024	प्रतिवाद पत्र	26/07/2024	प्रतिवाद पत्र
16	26/07/2024	प्रतिवाद पत्र	02/08/2024	प्रतिवाद पत्र
17	02/08/2024	प्रतिवाद पत्र	09/08/2024	प्रतिवाद पत्र
18	09/08/2024	प्रतिवाद पत्र	16/08/2024	प्रतिवाद पत्र
19	16/08/2024	प्रतिवाद पत्र	16/08/2024	प्रतिवाद पत्र
20	16/08/2024	प्रतिवाद पत्र	23/08/2024	प्रतिवाद पत्र
21	23/08/2024	प्रतिवाद पत्र	30/08/2024	प्रतिवाद पत्र
22	30/08/2024	प्रतिवाद पत्र	13/09/2024	प्रतिवाद पत्र
23	13/09/2024	प्रतिवाद पत्र	20/09/2024	प्रतिवाद पत्र
24	20/09/2024	प्रतिवाद पत्र	20/09/2024	प्रतिवाद पत्र
25	20/09/2024	प्रतिवाद पत्र	20/09/2024	प्रतिवाद पत्र

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक

वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल: - कानपुर **जनपद: -** कानपुर देहात **तहसील: -** सिकन्दरा **न्यायालय: -** तहसीलदार

वाद सं०:	558/2024	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	T202403400500558
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	गाँवसभा , - **बनाम** लाखन सिंह , विलासपुर बांगर	**वाद की स्थिति:**	प्रतिवाद पत्र
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	12-Feb-2024
अगला सुनवाई दिनांक:	02-Aug-2024	**अधिनियम, धारा:**	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67
गाँव और परगने का नाम:	**गाँव:- , परगने का नाम:-** सिकन्दरा		

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	कानपुर देहात	सिकन्दरा	सिकन्दरा	विलासपुर बांगर	00316	539	149849-0539-000062	0.0610

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	11/03/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
2	11/03/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	11/03/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
3	11/03/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	01/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
4	01/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	19/04/2024	प्रतिवाद पत्र
5	19/04/2024	प्रतिवाद पत्र	26/04/2024	प्रतिवाद पत्र
6	26/04/2024	प्रतिवाद पत्र	03/05/2024	प्रतिवाद पत्र
7	03/05/2024	प्रतिवाद पत्र	24/05/2024	प्रतिवाद पत्र
8	24/05/2024	प्रतिवाद पत्र	27/05/2024	प्रतिवाद पत्र
9	27/05/2024	प्रतिवाद पत्र	31/05/2024	प्रतिवाद पत्र
10	31/05/2024	प्रतिवाद पत्र	14/06/2024	प्रतिवाद पत्र
11	14/06/2024	प्रतिवाद पत्र	28/06/2024	प्रतिवाद पत्र
12	28/06/2024	प्रतिवाद पत्र	05/07/2024	प्रतिवाद पत्र
13	05/07/2024	प्रतिवाद पत्र	19/07/2024	प्रतिवाद पत्र
14	19/07/2024	प्रतिवाद पत्र	26/07/2024	प्रतिवाद पत्र
15	26/07/2024	प्रतिवाद पत्र	02/08/2024	प्रतिवाद पत्र

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल: - कानपुर जनपद: - कानपुर देहात तहसील: - सिकन्दरा न्यायालय: - तहसीलदार

वाद सं०:	557/2024	कंप्यूटरीकृत वाद सं०:	T202403400500557
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	गाँवसभा , - बनाम सुनीता देवी , विलासपुर बांगर तहसील सिकन्दरा	वाद की स्थिति:	प्रतिवाद पत्र
वाद प्रकृति:	मूल वाद	दाखिल करने का दिनांक:	12-Feb-2024
अगला सुनवाई दिनांक:	02-Aug-2024	अधिनियम, धारा:	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67
गाँव और परगने का नाम:	गाँव:- , परगने का नाम:- सिकन्दरा		

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	कानपुर देहात	सिकन्दरा	सिकन्दरा	विलासपुर बांगर	00316	227	149849-0227-000062	0.1130

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	11/03/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
2	11/03/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	11/03/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
3	11/03/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	01/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
4	01/04/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	19/04/2024	प्रतिवाद पत्र
5	19/04/2024	प्रतिवाद पत्र	26/04/2024	प्रतिवाद पत्र
6	26/04/2024	प्रतिवाद पत्र	03/05/2024	प्रतिवाद पत्र
7	03/05/2024	प्रतिवाद पत्र	24/05/2024	प्रतिवाद पत्र
8	24/05/2024	प्रतिवाद पत्र	27/05/2024	प्रतिवाद पत्र
9	27/05/2024	प्रतिवाद पत्र	31/05/2024	प्रतिवाद पत्र
10	31/05/2024	प्रतिवाद पत्र	14/06/2024	प्रतिवाद पत्र
11	14/06/2024	प्रतिवाद पत्र	28/06/2024	प्रतिवाद पत्र
12	28/06/2024	प्रतिवाद पत्र	05/07/2024	प्रतिवाद पत्र
13	05/07/2024	प्रतिवाद पत्र	19/07/2024	प्रतिवाद पत्र
14	19/07/2024	प्रतिवाद पत्र	26/07/2024	प्रतिवाद पत्र
15	26/07/2024	प्रतिवाद पत्र	02/08/2024	प्रतिवाद पत्र

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

1824

SAVALPUR VILLAGE JHEEJHAK BLOCK PHOTO

1826

SIKANDRA KANPUR DEHAT PHOTO GRAPH

Applicant

Meghraj Singh Human Rights RTI Activist

Village Bilaspur Bangar Sikandra Kanpur Dehat

Mob No 9643406577, humanrightsrtiactivst@gmail.com